श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली - ११००१६

विषय : दिनांक 21.4.2015 को आयोजित विद्वत् परिषद् की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 21.4.2015 को पूर्वाह्ण 10:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विद्यापीठ के वाचस्पति सभागार में प्रारम्भ होकर अपराह्ण 4:00 बजे समाप्त हुई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2.	प्रो. इच्छाराम द्विवेदी	सदस्य
3.	प्रो. वीर सागर जैन	”
4.	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	”
5.	प्रो रमेश प्रसाद पाठक	”
6.	प्रो. कमला भारद्वाज	”
7.	डा.. बिहारी लाल शर्मा	”
8.	प्रो. हरिहर त्रिवेदी	”
9.	डॉ. यशवीर सिंह	”
10.	प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	”
11.	प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित	”
12.	प्रो. महेश प्रसाद सिलौड़ी	”
13.	प्रो. एस.एन. रमामणि	”
14.	प्रो. केदार प्रसाद परोहा	”
15.	प्रो. शुकदेव भोई	”
16.	डा. जयकुमार एन. उपाध्याये	”
17.	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	”
18.	प्रो. नागेन्द्र झा	”
19.	प्रो. भास्कर मिश्रा	”
20.	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	”
21.	प्रो. सुदीप कुमार जैन	”

22. प्रो. शुद्धानन्द पाठक ”
23. प्रो. भागीरथि नन्द ”
24. प्रो. देवदत्त चतुर्वेदी ”
25. प्रो. रश्मि मिश्रा ”
26. डॉ. प्रगति गिहार ”
27. डॉ. शीतला प्रसाद शुक्ला ”
28. डॉ. बीके. महापात्र सचिव
29. श्रीमती कल्पना सिंह, वित्ताधिकारी- विशेष आमंत्रित सदस्या।

विद्वत्परिषद् की कार्यवाही में सहयोग के लिए सहायक कुलसचिव(शैक्षणिक), सहायक कुलसचिव (लेखा), सहायक कुलसचिव (परीक्षा), सहायक कुलसचिव (विकास), कुलपति के निजी सचिव के साथ-साथ शैक्षणिक अनुभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे ।

सर्वप्रथम दीपक प्रज्वालन एवं सरस्वती पूजन किया गया। कुलसचिव एवं सचिव - विद्वत्परिषद द्वारा कुलपति महोदय से विद्वत् परिषद की कार्यवाही आरंभ करने हेतु निवेदन किया गया। प्रोफेसर हरिहर त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष, वेद और पौरोहित्य विभाग द्वारा मंगलाचरण पाठ किया गया। प्रो. वीर सागर जैन, दर्शन संकाय प्रमुख द्वारा यह अनुरोध किया गया कि बैठक का संचालन हिन्दी या संस्कृत में किया जाए। इस संबंध में कुलपति द्वारा यह स्पष्ट किया गया बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्य सहायक कुलसचिव-शैक्षणिक द्वारा किया जाएगा।

बैठक का शुभारम्भ कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों के स्वागत भाषण से किया गया । सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा विद्वत्परिषद की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत करते हुये यह स्पष्ट किया गया कि विद्यापीठ की जो गौरवमयी परंपरा रही है उसमें विद्यापीठ के आचार्यकुल का महत्त्वपूर्ण योगदान है। विद्वत्परिषद के उत्तरदायित्व एवं प्रकार्यों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि विद्यापीठ द्वारा पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, उन्हें क्रियान्वयन के स्तर पर लाना, परीक्षाएं कराना, उच्च शैक्षणिक शोध योजनाएं बनाना तथा उनकी स्वीकृति करना विद्वत्परिषद का मुख्य दायित्व है। यह परिषद शैक्षणिक क्षेत्र में सर्वोच्च मानी जाती है जिसके प्रस्ताव को गंभीरता पूर्वक प्रबंध मण्डल एवं अन्य समितियां देखती हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि विगत वर्षों में कुछ विषम परिस्थितियां रही हैं, जिनके कारण विद्वत्परिषद की बैठकें निर्धारित तिथियों पर नहीं हो पाई हैं। काफी लंबे अंतराल एवं प्रयास के बाद पिछले वर्ष 5 मई 2014 तथा 15 मई 2014 को विद्वत्परिषद की बैठक आहूत करने के लिये आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी। उसके बाद तत्कालीन कुलपति - प्रो.

भास्कर मिश्र द्वारा सितम्बर 2014 में विद्वत्परिषद् की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई गई परन्तु वह भी फलीभूत नहीं हो पाई। आज कुछ ऐसा अवसर उपस्थित हुआ है कि हम अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विगत पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं को स्वीकृति प्रदान करने, अध्यापक शिक्षा परिषद के नवीन विनियम, 2014 के अनुरूप शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य के पाठ्यक्रमों को लागू करने और विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास कार्यसूची के अनुरूप सभी विभागों में नए पाठ्यक्रम की योजना का प्रारूप तय करने हेतु एकत्र हुए हैं। इस बीच विद्यापीठ द्वारा जो प्रगति की गयी है चाहे वह विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम के रूप में हों या विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की विशेष योग्यता के प्रदर्शन से सम्बन्धित हों या आचार्यों द्वारा विभिन्न सेमिनार, सभा एवं संगोष्ठियों में सहभागिता हो, जिससे विद्यापीठ को गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं एक बार फिर से आचार्यों का अभिनन्दन करता हूं एवं बधाई देता हूँ।

विद्वत् परिषद् द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत होने पर डॉ. अनेकान्त कुमार जैन तथा प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय, प्रो. हरेराम त्रिपाठी एवं डॉ. महानन्द झा को उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत होने पर करतल ध्वनि से अभिनन्दन किया गया।

प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि क्या बाह्य सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह स्पष्ट किया कि सभी बाह्य सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया था तथा दूरभाष पर विद्वत् परिषद में सहभागिता हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु बाह्य सदस्य कुछ अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नही हो सके हैं।

तदनन्तर प्रो. भास्कर मिश्र ने यह सूचित किया कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के कुलाधिपति का आकस्मिक निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है। विद्वत्परिषद के सभी सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के कुलाधिपति के दिवंगत होने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व प्रो. इच्छाराम द्विवेदी, साहित्य एवं संस्कृति संकाय प्रमुख द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या प्रभारी कुलपति को विद्वत परिषद की बैठक आहूत करने का कोई वैधानिक अधिकार है? क्योंकि पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रभारी कुलपति के निर्णयों को निष्प्रभावी घोषित कर दिया था। इस संबंध में कुलसचिव द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत

सरकार के उक्त पत्र में यह स्पष्ट वर्णित है कि - प्रभारी कुलपति विश्वविद्यालय की दिनचर्या से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करेगा जिसमें विद्वत परिषद, प्रबंध मण्डल तथा वित्त समिति की बैठकें आहूत करना और अस्थायी नियुक्तियां करना सम्मिलित हैं। प्रभारी कुलपति द्वारा विधियों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और न ही नवीन अध्यादेशों को लाया जायेगा। साथ ही साथ वह नये पदों का सृजन नहीं करेगा तथा शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक पदों पर स्थायी नियुक्ति भी नहीं करेगा। उक्त पत्र की प्रतिलिपि विद्वत्परिषद के सदस्यों को प्रदान की गई। सदस्यों की संतुष्टि के उपरांत कुलपति द्वारा सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा के साथ कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कुलपति महोदय ने सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) - डॉ. शिवदत्त त्रिपाठी को विद्वत्परिषद के समक्ष कार्यसूची को क्रमवार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिससे विद्वत परिषद में प्रत्येक मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करते हुये निर्णय किया जा सके। निर्धारित कार्यसूची और कुलपति महोदय की अनुमति से विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ आचार्यो एवं परीक्षा प्रभारी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के अनन्तर विद्वत्परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

कार्यसूची सं. 3.1 विद्वत्परिषद् की दिनांक २२.१२.२०१२ को संपन्न हुई द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 22.12.2012 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

कार्यसूची सं. 3.2 विद्वत्परिषद् की दिनांक २२.१२.२०१२ को संपन्न हुई द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन ।

विद्वत परिषद की दिनांक 22.12.2012 को संपन्न हुई द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रतिवेदन की पुष्टि की गई तथा जिन विषयों पर कार्यवाही अपेक्षित है, उनपर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

मद सं. 2.4 (विद्वत्परिषद् की बैठक दिनांक 14.5.2012) विद्यापीठीय परीक्षा संबंधी नियम-उपनियमों के निर्माण के सम्बन्ध प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित जी की अध्यक्षता में गठित समिति (प्रो. कमला भारद्वाज, प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी, डा. गोपीरमण मिश्र) से यह आग्रह किया गया कि सम्बन्धित कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय। समिति के संयोजक परीक्षा प्रभारी होंगे।

18

मद सं. 2.12 (विद्वत्परिषद की बैठक दिनांक 14.5.2012) व्याकरण विभाग के अन्तर्गत निहित विषयों के लिये नव्य व्याकरण एवं प्राचीन व्याकरण के रूप में दो स्वतंत्र विभागों को स्थापित करने और चारों वेदों के लिये चार स्वतंत्र विभागों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृति के लिये अग्रसारित किया जा सकता है। उपरोक्त विभागों के लिये निर्धारित पद संरचना के अनुरूप पदों की प्राप्ति और आयोग की अनुमति प्राप्त होने पर क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा सकती है। प्रो. कमला भारद्वाज ने कहा कि व्याकरण विभाग में अध्यापकों की कमी है, अतएव दोनों विभागों का सृजन अध्यापकों की नियुक्ति के उपरान्त ही संभव हो पाएगा। इसी के संबंध में प्रो. दीक्षित ने कहा कि व्याकरण विभाग की तरह न्याय विभाग में भी अध्यापकों की नियुक्ति के उपरान्त ही प्राचीन एवं नव्य न्याय के नाम से दो पृथक्-पृथक् विभाग की स्थापना की जा सकती है।

प्रो. कमला भारद्वाज ने अनुरोध किया कि जबतक स्वीकृत पदों पर स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक अस्थायी नियुक्तियां की जाएं जिससे अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित की जा सके। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने यह सहमति व्यक्त की कि आगामी सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाय और इस सम्बन्ध में कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

प्रो. इच्छाराम द्विवेदी तथा अन्य आचार्यों द्वारा आधुनिक विषयों एवं भाषाओं के लिये स्वतंत्र विभाग स्थापित करने की भी मांग की गयी जिससे उन विषयों में नियुक्त अध्यापकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण तथा प्रोन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि आधुनिक विषय एवं भाषा विभाग नामक एक स्वतंत्र विभाग स्थापित करने के लिये सम्बन्धित संकाय से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाय तथा विद्वत्परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि सामान्यतः प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जाना चाहिये, यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन नहीं हो तो छात्रों को अविलम्ब डिग्री प्रदान की जाय।

मद सं. 2.13 (विद्वत्परिषद की बैठक दिनांक 14.5.2012) शास्त्री में प्रवेश हेतु 12वीं/समकक्ष और स्नातक/समकक्ष स्तर पर संस्कृत की बाध्यता को समाप्त करके उसके स्थान पर संस्कृत भाषा का एक अनिवार्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर संकाय प्रमुखों की संस्तुति के आधार पर संस्कृत शिक्षण का एक वर्षीय विशिष्ट पत्र शास्त्री प्रथम वर्ष के दोनों सत्रों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाय। सदस्यों का मत था कि इससे शास्त्री में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी, जिससे संस्कृत के प्रचार-प्रसार में भी सहायता मिलेगी।

मद सं 2.14 (विद्वत्परिषद की बैठक दिनांक 14.5.2012) प्राकृत भाषा का स्ववित्तपोषित प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये निर्देशों के अनुरूप संचालित करने को स्वीकृति प्रदान की गयी। पाठ्यक्रम संयोजक विस्तृत पाठ्यक्रम दिनांक 4 मई से 6 मई, 2015 तक प्रस्तावित कार्यशाला में पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगें।

मद सं 2.15 (विद्वत्परिषद की बैठक दिनांक 14.5.2012) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के लब्धांक पत्र के अनुसार विद्यापीठ के लब्धांक पत्र एवं उपाधि प्रपत्रों को बनाये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास कार्यसूची से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देशों के आलोक में 4 मई से 6 मई, 2015 तक प्रस्तावित कार्यशाला में इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और संस्तुत प्रारूप को कुलपति महादेय के आदेश से लागू किया जाय।

मद सं 2.15 (विद्वत्परिषद की बैठक दिनांक 14.5.2012) पाठ्यग्रंथ, प्रश्न बैंक, आवश्यक पाठ्य सामग्री आदि के मुद्रण का कार्य शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा किया जायेगा।

समस्त स्ववित्तपोषित षाण्मासिक, एक वर्षीय डिप्लोमा और द्विवर्षीय एकवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु सहसंयोजक भी नियुक्त किये जा सकते हैं। समस्त स्ववित्तपोषित षाण्मासिक, एक वर्षीय डिप्लोमा और द्विवर्षीय एकवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संस्कृत पत्रकारिता, अनुवाद कला और

वैदिक विज्ञान आदि समस्त पाठ्यक्रमों को विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास कार्यसूची से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देशों के आलोक में 4 मई से 6 मई, 2015 तक प्रस्तावित कार्यशाला में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और संस्तुत पाठ्यक्रमों को कुलपति महोदय के आदेश से लागू किया जाय।

Accd.

कार्यसूची सं. 3.3 शैक्षणिक सत्र २०१३.१४ एवं २०१४.१५ में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित विभिन्न विभागों की समय-सारणी सूचनार्थ।

शैक्षणिक सत्र 2013.14 एवं 2014.15 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा नियत समय-सारणी की पुष्टि की गई ।

Accd

कार्यसूची सं. 3.4 विभिन्न विभागों में अध्ययन मण्डल में बाह्य विशेषज्ञों की सूची एवं आयोजित अध्ययन मण्डलों के प्रतिवेदन विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम 2010 के अनुबन्ध -1 के नियम 4.2 के प्रावधान के अनुसार कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 10.2.2015 को अगले दो वर्षो के लिए अध्ययन मण्डल हेतु नामित बाह्य विशेषज्ञ विद्वानों की सूची स्वीकृत की गयी और यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार कुलपति महोदय द्वारा इस सूची में संशोधन किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न समितियों यथा चयन समिति आदि के लिये समस्त संकाय प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों से बाह्य विषय विशेषज्ञों से संबंधित विद्वानों की सूची आमंत्रित की जा सकती है।

निम्नलिखित विभागों द्वारा आहूत अध्ययन मण्डलों के कार्यवृत्त एवं पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों की पुष्टि की गई।

1. वास्तुशास्त्र विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 28.02.2014 और दिनांक 17-18.4.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।

2. ज्योतिष विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 05.03.2014 और दिनांक 7.4.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति। ज्योतिष विभाग द्वारा दिनांक 6.4.2015 को आहूत की गई विभागीय बैठक में संरचित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति।
3. धर्मशास्त्र विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 9.9.2013, 12.04.2014 और 15-16.4.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
4. सर्वदर्शन विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 02.04.2014 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
5. शोध एवं प्रकाशन विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 10.01.2014 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
6. न्याय वैशेषिक विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 30.09.2013 और 23.3.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम और स्ववित्तपोषित संस्कृत वाङ्मय में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
7. पुराणेतिहास विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 30.04.2014 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
8. विशिष्टाद्वैतवेदान्त विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 30.04.2014 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
9. सांख्ययोग विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 13.05.2014 को बैठक में सांख्ययोग के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रत्र में संशोधन की स्वीकृति।
10. साहित्य विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 13 मार्च 2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
11. प्राकृत भाषा विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 24 सितम्बर 2014 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
12. व्याकरण विभाग के अध्ययन मण्डल की दिंनाक 17 अप्रैल 2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
13. जैन दर्शन विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 23 सितम्बर 2014 को सम्पन्न बैठक में संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
14. वेद विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 3 सितम्बर 2014 और 20.4.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।
15. पौरोहित्य विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 20.4.2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम तथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति।

16. अद्वैतवेदान्त विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 2 मई 2014 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।

17. शिक्षा विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 20 अप्रैल 2015 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त एवं संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति।

तथापि सत्र 2015-16 से विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों की संरचना और उनके क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव के पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2015 को संज्ञान में लेते हुये यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न अध्ययन मण्डलों द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जाय जिससे आयोग द्वारा नियत प्रारूप से साम्यता रखते हुये सभी पाठ्यक्रमों को संरचित कर लागू किया जा सके। इस सम्बन्ध में कुलपति की अध्यक्षता में सभी संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों और विभिन्न विभागों के लिये नामित बाह्य विशेषज्ञों में से प्रति विभाग एक विशेषज्ञ को आमंत्रित कर त्रिदिवसीय कार्यशाला (4, 5 एवं 6 मई 2015) आयोजित की जाए। कार्यशाला में आवश्यकतानुसार शिक्षाशास्त्री विभाग के अध्यापकों को आमंत्रित किया जा सकता है। कार्यशाला का संयोजन शैक्षणिक अनुभाग द्वारा किया जायेगा। कार्यशाला के प्रथम सत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रारूप पर चर्चा कर एक स्पष्ट प्रारूप बनाया जायेगा। तदनन्तर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग अपने पाठ्यक्रम, निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार करेंगें। कार्यशाला में संस्तुत पाठ्यक्रमों को कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से लागू किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में सभी विभागों के लिये समय-सारिणी भी बनाई जाय, तदनुसार विभिन्न विभागों के शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाए। नवीन पाठ्यक्रमों को पूर्व गठित समिति द्वारा संपादित कर प्रकाशित किया जाय तथा कृत कार्यवाही को विद्वत्परिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विद्वत्परिषद द्वारा इस निर्णय को पुष्ट किया जाता है और तत्काल कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

कार्यसूची सं. 3.5 **शिक्षा विभाग में राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम २०१४ के प्रावधानों को लागू करने के सम्बन्ध में आयोजित कार्यशाला में लिये गये निर्णय विचारार्थ एवं नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।**

शिक्षा विभाग में राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम, 2014 के प्रावधानों को लागू करने के सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेशानुसार दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। प्रथम कार्यशाला विभागीय स्तर पर बाह्य विद्वानों को आमंत्रित कर आयोजित की गयी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीन विनियम 2014 के आधार पर प्रारूप तैयार किया गया। द्वितीय कार्यशाला में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बाह्य विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था। इन कार्यशालाओं में शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य के लिये विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के प्रावधानों के अनुरूप द्विवर्षीय (चार सत्रीय) पाठ्यक्रम तैयार किया गया।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य के नवीन पाठ्यक्रमों को आगामी शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से लागू किया जाय और नवीन विनियम 2014 के प्रावधानों एवं संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । प्रोफेसर नागेन्द्र झा द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन आगामी बैठक में विचारणीय होगा।

कार्यसूची सं. 3.6 **शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ एवं २०१५-१६ के लिये निर्मित शैक्षणिक कलैण्डर की पुष्टि।**

शैक्षणिक सत्र 2014-15 एवं 2015-16 के लिए निर्मित शैक्षण्कि कलैण्डर की सर्वसम्मति से विद्वत परिषद द्वारा पुष्टि की गई। शैक्षणिक सत्र 2015-16 के उत्तरार्ध सत्र की परीक्षाएं दिनांक 18 मई से 31 मई 2015 तक संचालित की जाएं।

कार्यसूची सं. 3.7 **शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ एवं २०१५-१६ की परिचय नियमावली तैयार करने हेतु गठित संकाय प्रमुखों की समिति द्वारा निर्मित परिचय नियमावली एवं अन्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु पुष्टि।**

शैक्षणिक सत्र 2015-16 की परिचय नियमावली तैयार करने हेतु गठित संकाय प्रमुखों की समिति द्वारा निर्मित परिचय नियमावली एवं अन्य संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते हुये पाठ्यक्रमरहित शैक्षणिक परिचय नियमावली के प्रकाशन की अनुमति दी गयी। विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास कार्यक्रम के संबंध में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप नवीन पाठ्यक्रमों की संरचना के उपरान्त पाठ्यक्रमों को अलग से प्रकाशित किया जाए जिसे प्रवेश के समय छात्रों को उपलब्ध कराया जाय। समिति द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर की गई संस्तुतियां नियमानुसार वित्त समिति और प्रबंध मण्डल को निर्णयार्थ प्रेषित की जाएं ।

Accd

कार्यसूची सं. 3.8 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत राजीव गांधी राष्ट्रिय अध्येतावृत्ति सम्बन्धी आदेशों के क्रियान्वयन की पुष्टि।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत राजीव गांधी राष्ट्रिय अध्येतावृत्ति तथा मौलाना आजाद राष्ट्रिय अध्येता अल्प संख्यक छात्रों की कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति से वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति वृद्धि (कनिष्ठ शोध अध्येताओं के लिए रु.16000 से बढ़ाकर 25000 तथा वरिष्ठ शोध अध्येताओं के लिए रु.18000 से बढ़ाकर 28000 दिनांक 1.12.2014 से प्रभावी)छात्रवृत्ति हेतु विद्वत् परिषद द्वारा पुष्टि की गई ।

Ac.

कार्यसूची सं.3.९ **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या F.19-2/2002(SA-I) दिनांक ०२ जुलाई, २०१३ कनिष्ठ शोध अध्येता से वरिष्ठ शोध अध्येता वृद्धि से सम्बन्धित निर्णय लागू किये जाने पर विचार।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या F.19-2/2002(SA-I) दिनांक 02 जुलाई, 2013 कनिष्ठ शोध अध्येता से वरिष्ठ शोध अध्येता वृद्धि से सम्बन्धित निर्णय लागू किये जाने की विद्वत् परिषद द्वारा पुष्टि की गई ।

Accd

कार्यसूची सं. 3.10 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्याः- D.O.No.1-56/2014(NSQF) दिनांक २८ मार्च, २०१४ के अनुसार राष्ट्रिय व्यावसायिक शिक्षा कार्यसूची योजना, विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास कार्यसूची से सम्बन्धित नीतियों को लागू करने के सम्बन्ध में विचार।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र 156/2014(NSQF) दिनांक 28 मार्च, 2014 के अनुसार राष्ट्रिय व्यावसायिक शिक्षा कार्यसूची योजना, विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास कार्यसूची से

सम्बन्धित नीतियों के अनुरूप, विद्यापीठ में विभिन्न स्ववित्त पोषित कौशल विकास पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई :-

1. प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित,
2. प्रो. सुदीप कुमार जैन
3. डॉ. भागीरथि नन्दा

यह समिति कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रमों की रूपरेखा, उद्देश्य, नियम-उपनियम एवं उसकी युक्तिसंगतता सुनिश्चित करेगी तथा इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव, कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करेगी ताकि कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रमों को विद्यापीठ में प्रारंभ किया जा सके ।

कौशल विकास पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सेवा भारती, नई दिल्ली और विद्यापीठ के मध्य सम्पन्न समझौता ज्ञापन की पुष्टि की गई । अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों से संबंधित निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन किया जाए ।

कार्यसूची सं. 3.11 शैक्षणिक सत्र २०१२-१३, २०१३-१४ एवं २०१४-१५ में सम्पन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं परीक्षा मण्डल के प्रतिवेदनों की पुष्टि एवं उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति ।

शैक्षणिक सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में सम्पन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं परीक्षा मण्डल के प्रतिवेदनों एवं उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करने की पुष्टि की गई।

Accd. कार्यसूची सं.3.12 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या एफ ६. ३/२०१३(DU) दिनांक जनवरी २०१४, १६ अप्रैल २०१४, सितम्बर, २०१४ एवं १०.२.२०१५ द्वारा नान-नेट छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत आदेश ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नान-नेट छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई थी। विद्यापीठ के छात्रों द्वारा इस प्रकरण पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (भाषा) तथा विद्यापीठ के तत्कालीन प्रभारी कुलपति से वार्ता भी की गई। कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव से मिलकर छात्रवृत्ति के लिए अनुदान निर्गत करने का अनुरोध किया गया। सचिव - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी मानित विश्वविद्यालय को उक्त मद में अनुदान आबंटित नहीं किया गया। इस प्रकरण पर आयोग में विचार हेतु समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस मद में जब भी आयोग को धन उपलब्ध कराया जाएगा तभी आयोग मानित विश्वविद्यालयों को अनुदान आबंटित कर सकता है। इस संबंध में फरवरी 2015 में आयोग से प्राप्त पत्र की भी पुष्टि की गई।

Accd - Exam.

कार्यसूची सं. 3.13 **कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समय-समय पर आयोजित बैठकों एवं संकाय प्रमुखों की समिति की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही की पुष्टि।**

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समय-समय पर आयोजित बैठकों एवं संकाय प्रमुखों की समिति की संस्तुतियों पर पुष्टि की गई। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक क्रियाकलापों से संबंधित नीतिगत सुझावों को क्रियान्वित किया जाए और वित्तीय तथा प्रशासकीय संस्तुतियां वित्त समिति और प्रबंध मण्डल को विचारार्थ एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित की जाएं। प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं :-

1. प्राकृत भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर 60 प्रतिशत संस्कृत में, 20 प्रतिशत हिन्दी में और 20 प्रतिशत प्राकृत भाषा में लिखने की अनुमति होगी। वैकल्पिक रूप से 80 प्रतिशत संस्कृत तथा 20 प्रतिशत हिन्दी उत्तर लिखने की अनुमति होगी। तद्नुरूप प्रश्न पत्र बनाये जायेगें।
2. प्राकृत भाषा में एकवर्षीय डिप्लोमा और एक वर्षीय प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाए।
3. परीक्षाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परीक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया जाए। परीक्षा के

साथ ही केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए और केन्द्रीय मूल्यांकन के लिए महिला अध्ययन केन्द्र के संगोष्ठी कक्ष का प्रयोग किया जाए ।

4. प्रवेश परीक्षाओं का माध्यम संस्कृत होगा ।

5. आचार्य प्रथम वर्ष में सभी विषयों में 25 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का प्रावधान 25 सीटों के अतिरिक्त होगा। आवश्यकतानुसार निर्धारित सीटों की संख्या कुलपति के आदेश से बढ़ाई जा सकती है।

6. शिक्षाचार्य एवं विशिष्टाचार्य के छात्रों को लघु शोध प्रबन्ध तैयार करने के लिए विविध व्यय के रूप में प्रत्येक छात्र को 2000 रुपये दिए जाने का प्रकरण वित्त समिति को विचारार्थ प्रेषित किया जाए ।

FC

7. संकाय प्रमखों की समिति द्वारा विभिन्न विभागों में संकल्पित शोध संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं विद्यापीठ के स्तर पर व्याख्यानमालाओं आदि के आयोजन का प्रारूप एवं अनुमानित व्यय शैक्षणिक कलैण्डर के साथ क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

8. परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों एवं केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति, कुलसचिव की संस्तुति पर कुलपति महोदय द्वारा की जाएगी ।

9. शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र (फीडबैक फार्म) सत्रीय परीक्षा के अंत तक सभी छात्रों को भरकर विभागाध्यक्ष को एवं विभागाध्यक्ष द्वारा संकाय प्रमुख को उपलब्ध कराया जाएगा। मूल्यांकन के बाद संकाय प्रमुख द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पणी के साथ प्रपत्रों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा ।

10. छात्रों द्वारा डिग्रियों की मान्यता, आचार्य एवं शास्त्री की डिग्री को क्रमश: एम.ए. एवं बी.ए. के समकक्ष मान्यता, छात्रवृति सही समय पर मिले, विश्वविद्यालय में खेल के सामान व कोच की व्यवस्था तथा पुन: परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रतिपत्र से कम करके 50 रुपये करना इत्यादि मामलों पर प्राप्त सामूहिक आवेदन पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि डिग्रियों की समकक्षता निर्धारित है। विद्यापीठ में क्रीड़ा एवं खेल-कूद के लिए एक समिति गठित की गई है तथा पुन: परीक्षा शुल्क को कम करके रु.100 प्रतिपत्र कर दिया गया है।

11. पर्यावरण, मानवाधिकार एवं युद्ध कौशल विषयक पाठ्यक्रम तैयार कर, शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाये जाएं।

12. नैक के लिए स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई ।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2 मई 2014 एवं नवंबर 2014 में निर्देशों को स्वीकार करते हुए आयोग द्वारा प्रेषित पर्यावरण अध्ययन से संबं पाठ्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति दी गई ।

कार्यसूची सं. ३.१४ शोध मण्डल की विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णय, विद्यावारिधि में सत्र २०१५ में प्रविष्ट ८४ छात्रों के प्रवेश की पुष्टि एवं केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति के गठन का प्रस्ताव।

शोध मण्डल की विभिन्न बैठकों -दिनांक 21.12.2013, 5.1.2015, 6.1.2015, 9.1.2015 और 12.1.2015 में लिये गये निर्णयों, विद्यावारिधि में सत्र 2015 में प्रविष्ट 84 छात्रों की पुष्टि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार प्रति अध्यापक 8 छात्रों के पंजीयन की अनुमति की पुष्टि की गई । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति के गठन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई ।(प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय शोध समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जो शोध प्रगति की समीक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा कर अपनी संस्तुति प्रदान करेंगे :-

1.	संबंधित संकाय प्रमुख	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागाध्यक्ष	संयोजक
3.	संबंधित निर्देशक	सदस्य
4.	एक बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
5.	संबंधित विभाग के सभी शिक्षक	सदस्य

यह शोध समीक्षा समिति विभाग के शोध छात्रों के शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और शोध कार्य-की 6 मास पर समीक्षा करेगी । विभागीय शोध समिति की समीक्षा के उपरान्त ही शोध छात्र का प्रगति विवरण स्वीकार किया जायेगा ।

शोध समीक्षा समिति द्वारा शोध कार्य की पूर्ति हेतु कम से कम दो वर्ष के शोध कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हो तो समय वृद्धि हेतु संस्तुति की जायेरेगी ।)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों एवं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय शोध मण्डल द्वारा समय-समय पर संस्तुत प्रावधानों को कुलपति के आदेश के उपरान्त शोध नियामों के रूप में अंगीकार किया जाएगा और उनका यथावत् क्रियान्वयन एवं अनुपालन किया जाएगा जिसे आगामी विद्वत परिषद की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

कार्यसूची सं. 3.15 विभिन्न विभागों से नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार।

संगणक केन्द्र के स्ववित्तपोषित षाण्मासिक तीन प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव :

1. प्रमाणपत्रीय संगण्क प्रोग्रामिंग कोर्स (Certificate Course in Computer Programming).
2. आफिस आटोमेशन में प्रमाणपत्रीय कोर्स (Certificate Course in Office Automation).
3. वेब डिजाईनिंग में प्रमाण-पत्रीय कोर्स (Certificate Course in Web Designing).

प्राकृत भाषा विभाग का प्रस्ताव :

1. प्राकृत भाषा विभाग में पूर्व में संचालित संस्कृत सेतु पाठ्यक्रम का पुनः आरंभ किया जाए ।
2. प्राकृत भाषा विभाग में प्राकृत भाषा प्रमाण-पत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जाए ।

न्याय विभाग का प्रस्ताव :

1. संस्कृत एम.ए. के छात्रों को विद्यावारिधि में प्रवेश इस वर्ष न देने पर समकक्षता के प्रश्न पर विचार ।
2. शोध एवं प्रकाशन को आवश्यक रूप से हर विभाग से सम्बद्ध करने की दृष्टि से तथा नियमित रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यग्रन्थों के प्रकाशन एवं अनुसंधान हेतु समवेत योजना का प्रस्ताव ।
3. तदर्थ अध्यापको की नियुक्ति ।

वेद विभाग का प्रस्ताव :

1. अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति ।
2. प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु श्रौत यज्ञशाला की आवश्यकता।
3. वैदिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन की स्वीकृति।
4. वेद विभूषण परीक्षोत्तीर्ण छात्र को शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश की स्वीकृति ।

उपर्युक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संगणक केन्द्र, प्राकृत भाषा विभाग एवं योग से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने हेतु एवं कौशल विकास कार्यसूची से सम्बन्धित नीतियों को लागू करने के सम्बन्ध में विद्वत परिषद द्वारा क्रम सं. 3.10 में जिन तीन सदस्यों की समिति का गठन किया गया है वहीं समिति इन पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर अपनी संस्तुति कुलपति को प्रस्तुत करेगी। कुलपति की अनुमति के उपरान्त स्वीकृत पाठ्यक्रम शनिवार तथा रविवार को चलाये जाएंगे तथा यदि आवश्यकता हुई तो अन्य कार्यदिवसों में सायंकाल में भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त न्याय विभाग, वेद विभाग, धर्मशास्त्र विभाग, व्याकरण विभाग, ज्योतिष विभाग, वास्तुशास्त्र विभाग और सांख्ययोग विभाग से प्राप्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को समिति की संस्तुति और कुलपति की अनुमति के उपरांत आगामी सत्र 2015-16 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई । Imp.

BEd

कार्यसूची सं. 3.16 **शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम वर्ष २०१३-१४ एवं २०१४-१५ के छात्रों की शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विद्यालयों का आबंटन सूचनार्थ एवं अध्यापक शिक्षा परिषद के नवीन विनियम २०१४ के प्रावधानों के अनुसार वर्ष २०१५-१६ में विद्यालयों के आबंटन हेतु अपेक्षित कार्यवाही।**

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विद्यालयों का आबंटन संबंधी सूचना को स्वीकार किया गया और अध्यापक शिक्षा परिषद् के नवीन विनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में विद्यालयों के आबंटन हेतु अपेक्षित कार्यवाही के लिए संकाय प्रमुख-आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को अधिकृत किया गया ।

कार्यसूची सं. 3.17 **विद्यावारिधि एवं विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को छात्रवृति भुगतान सम्बन्धी नियम तैयार करने हेतु बैठक का कार्यवृत्त।**

विद्यावारिधि एवं विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को छात्रवृति भुगतान के संबंध में दिनांक 6.3.2014 एवं 11.3.2014 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठकें आहूत की गई थीं जिसमें कुलसचिव द्वारा समिति के संज्ञान में यह बात लाई गई कि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यापीठ की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पत्र सं. F. 6-3/2013(डीयू) दिनांक जनवरी 2014 के तहत अनुदान राशि पहले ही तय कर दी गयी है और इस अनुदान राशि में छात्रवृत्ति मद में अनुदान का उल्लेख नहीं है ।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई दर से छात्रवृत्ति मद में अनुदान प्रदान नहीं किया जाता, तब तक विद्यपीठ द्वारा स्वीकृत दरों से विद्यावारिधि के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान कर सकता है ।

यह निर्णय लिया गया कि विशिष्टाचार्य के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी मामले को पुनः वित्त समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। वित्त समिति के निर्णय अनुसार ही विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छांत्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकेगा ।

कार्यसूची सं. 3.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में यह निर्देश निर्गत किया गया था कि समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को लागू किया जाए ।

कार्यसूची सं. 3.19 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत फेस बुक, ट्वीटर/यू. ट्यूब वेब साईट सम्बन्धी आदेश दिनांक २५.६.२०१४ का क्रियान्वयन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेशानुसार अध्यापकों की शैक्षण्कि गतिविधियां, परीक्षा परिणाम, प्रवेश सूचना, छात्रवृत्ति संबंधी सूचना आदि को मंत्रालय की फेस बुक, ट्वीटर/यू.ट्यूब वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए सूचनाएं प्रेषित की जाएं ।

Accd
Prof N. Jha.

कार्यसूची सं. 3.20 **रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम २००९ एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।**

रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2009 एवं संबंधित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय सदस्यों की बैठक दिनांक 21.7.2014 को आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिए गए कि :-

1. यू.जी.सी से प्राप्त रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की प्रतिलिपि समस्त संकाय प्रमुखों/विभागाध्यक्षों/विभागों को उपलब्ध कराई जाए एवं विद्यापीठ की वेबसाईट पर अंकित की जाए ।
2. यह सूचना विद्यापीठ के समस्त सूचना पट्ट पर दर्शायी जाए तथा जो छात्र इसका उल्लंघन करेगा, उसे देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा ।
3. रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 धारा 6.1 (ख) के अनुपालन में आगामी शैक्षणिक सत्र 2015-16 की परिचय नियमावली में रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 का विवरण विस्तारपूर्वक मुद्रित किया जाएगा।
4. रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के अनुपालन में नोडल अधिकारी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया जाय इस संबंध में समस्त छात्रों को सूचना जारी की जाय ।

विद्वत परिषद में उक्त नियमों को लागू करने की पुष्टि की गई ।

Acd.

कार्यसूची सं. 3.21 **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किये गये अनुरोध एवं मान्यता पर विचार ।**

उपसचिव, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, उ.प्र. के पत्र दिनांक 10.12.2014 के संदर्भ में राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम/माहिर, परीक्षा सर्टिफिकेटों को विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सो में प्रवेश की पात्रता के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को विद्यापीठ में अन्य नियमों के परिप्रेक्ष्य में सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया ।

कार्यसूची सं. 3.22 **प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् को प्रेषित स्वअध्ययन प्रतिवेदन, संचालन समिति के विभिन्न कार्यवृत्त एवं वार्षिक गुणवत्ता प्रतिवेदनों की पुष्टि।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में विद्यापीठ के प्रत्यायन एवं मूल्यांकन हेतु स्वअध्ययन प्रतिवेदन और वार्षिक गुणवत्ता प्रतिवेदनों को नैक को प्रेषित किया गया है तथा इस संबंध समय-समय पर कुलपति एवं वित्ताधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिसकी संस्तुतियों को पुष्ट किया गया । द्वितीय चक्र के प्रत्यायन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु नैक पीयर टीम 12-15 मई 2015 के मध्य विद्यापीठ में आ रही है । नैक से संबंधित आवश्यक कार्यवाही के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है ।

कार्यसूची सं. 3.23 **विद्यापीठ द्वारा निर्गत अंकपत्रों और उपाधियों का प्रारूप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप बनाने पर विचार ।**

विद्यापीठ द्वारा निर्गत अंकपत्रों और उपाधियों का प्रारूप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप बनाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इन प्रारूपों को विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली और कौशल विकास से संबंधित नियमों के आलोक में पुनरीक्षित कर निर्गत किया जा सकता है । इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कुलपति महोदय द्वारा किया जाए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप नये प्रारूपों को तैयार करेगी तथा जिसे आगामी सत्र 2015-16 से क्रियान्वित किये जाने की संस्तुति की गई ।

कार्यसूची सं. 3.24 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यापीठ के साहित्य और ज्योतिष विभाग के लिये सैप की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्णय सूचनार्थ एवं पुष्टि हेतु ।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यापीठ के साहित्य और ज्योतिष विभाग के लिये क्रमशः DRS-II और DRS-III को दिनांक 1.4.2015 से क्रियान्वयन किया गया है । इस संबंध में ज्योतिष विभाग के DRS-III के लिए रु.41 लाख 50 हजार तथा साहित्य विभाग के DRS-II के लिए रु. 38 लाख 50 हजार स्वीकृत किया गया है तथा यह

योजनाएं 31.3.2010 तक प्रभावी रहेंगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति उपरान्त इन योजनाओं का संचालन किया जा सकता है । विद्वत् परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई ।

Acd. कार्यसूची सं. 3.25 **काश्मीरी विस्थापितों के बच्चों के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक १९.३.२०१५ का क्रियान्वयन ।**

काश्मीरी विस्थापितों के बच्चों के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 19.3.2015 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए नियत प्रवेश स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान की वृद्धि की जाए तथा निम्नतम प्रवेश प्रतिशत में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए ।

कार्यसूची सं. ३.२६ **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव**

परीक्षा अनुभाग से प्राप्त परीक्षा सम्बन्धी विविध प्रस्ताव ।

Exam 1. पूर्व दीक्षान्त समारोह दिनांक 8.1.2013 के बाद विद्यावारिधि उपाधि के योग्य घोषित छात्रों की उपाधियों को पुष्ट करते हुये उन्हें यथाशीघ्र उपाधियों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया। स्नातक एवं स्नाकोत्तर कक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की उपाधियों को भी पुष्ट किया गया और विगत वर्ष में दीक्षान्त समारोह आयोजित न हो पाने के कारण छात्रों को उपाधियां वितरित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये परीक्षा अनुभाग को अधिकृत किया गया।

- इस संबंध में विद्वत परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाए और यदि दीक्षान्त समारोह के आयोजन में अपरिहार्य कारणों से आगामी एक सत्र (6 माह) से अधिक का विलंब हो तो छात्रों को उपाधि वितरित की जाए। विगत दीक्षान्त समारोह के बाद विद्यावारिधि उपाधि एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिए देय उपाधियों को योग्य घोषित छात्रों को सम्बन्धित छात्र द्वारा आवेदन करने पर प्रदान किया जाए ।

2. विद्यावारिधि सत्रीय परीक्षा में अनुपस्थित छात्र को परीक्षा देने की अवधि सीमा तय किये जाने की पुष्टि।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि केवल शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के उत्तरार्ध सत्र में विद्यावारिधि के नवपंजीकृत शोध छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उन पूर्व छात्रों को भी परीक्षा की अनुमति प्रदान की जायेगी जिनका पंजीयन विगत वर्षों में हुआ है और दो वर्ष का शोध काल पूर्ण नहीं किया है और जिन्होंने निर्धारित पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त की है। ऐसे छात्र पूर्व में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देते हुये अपने निर्देशक, विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख की संस्तुति के साथ कुलपति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगें। कुलपति की अनुमति के उपरान्त ऐसे छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि विशिष्टाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को विद्यावारिधि के लिये निर्धारित सत्रीय पाठ्यक्रम से छूट तबतक प्रदान की जाती है जबतक कि इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गये पत्र का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता।

Exam 3. शिक्षाचार्य सत्रीय प्रणाली की अंकतालिका की पुष्टि।

शिक्षाचार्य सत्रीय प्रणाली की अंकतालिका की विद्वत परिषद द्वारा पुष्टि की गई और शिक्षा विभाग के सभी अंकपत्रों एवं उपाधियों को सम्बन्धित शैक्षिक परिषद के नवीन विनियम 2014 के अनुरूप प्रारूप में बनाए जाने के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी।

AEx 4. २०१४-१५ प्रथम सत्रीय परीक्षा परिणाम की पुष्टि।

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 प्रथम सत्रीय परीक्षा परिणाम की विद्वत परिषद द्वारा पुष्टि की गई।

Exam 5. विशिष्टाचार्य (श्री राकेश कुमार - पंजीकरण-मौखिकी परीक्षा तिथि) के विषय में वाक् परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी परिणाम की पुष्टि।

RK [signature] [signature]

विशिष्टाचार्य (श्री राकेश कुमार - पंजीकरण-मौखिकी परीक्षा तिथि) के विषय में वाक् परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी परिणाम की पुष्टि की गई ।

6. **शिक्षाशास्त्री में अगले वर्ष से सेमेस्टर प्रणाली आरंभ है अतः विगत वर्ष में जिन छात्रों की उपस्थिति ७० प्रतिशत से कम रही उन्हें इस वर्ष पुनः परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति ।**

इस संबंध में विद्वत परिषद में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्देश प्राप्त कर तद्नुरूप कार्यवाही की जाय।

7. **परीक्षा मण्डल के गठन पर विचार ।**

विद्वत्परिषद के सदस्यों को परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 28.11.1991 में परीक्षा मण्डल के गठन के सम्बन्ध में लिये गये निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया गया, तद्नुसार कुलपति को परीक्षा मण्डल के गठन के लिये अधिकृत किया गया।

(अ) कार्यपरिषद (वर्तमान प्रबन्ध मण्डल) का एक प्रतिनिधि : अध्यक्ष
(ब) कुलपति द्वारा मनोनीत एक संकायप्रमुख : सदस्य
(स) कुलपति द्वारा मनोनीत एक आचार्य : सदस्य
(द) कुलपति द्वारा मनोनीत विद्यापीठ से बाहर के दो विशिष्ट विद्वान : सदस्य
(य) कुलसचिव : सदस्य
(र) परीक्षा नियंत्रक या उसके दायित्व का निर्वाहक : सचिव

परीक्षा मण्डल परीक्षाओं के संचालन में विद्वत्परिषद की ओर से कुलपति की सहायता करेगा।

8. **अस्वस्थता/या परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण पुनः परीक्षा में समस्त पत्रों को एक साथ परीक्षा देने पर सामान्य परीक्षा शुल्क से दुगणित राशि लेने की अनुमति ।**

पुनः परीक्षा में समस्त पत्रों को एक साथ परीक्षा देने पर सामान्य परीक्षा शुल्क से दुगणित राशि लेने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षा हेतु रुपया 100 प्रति पत्र शुल्क लिया जाए । यह निर्णय लिया गया कि श्रेणी सुधार हेतु यदि कोई छात्र पुनः परीक्षा देना चाहता है तो उसे आगामी दो वर्षों तक कुलपति से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रतिपत्र रुपया 100/-प्रदान करना होगा। इस सम्बन्ध में इच्छुक छात्र परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व कुलपति को अपना आवेदन प्रेषित कर सकता है।

9. **आचार्य प्रथम वर्ष के बाद शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य आदि पाठ्यक्रम करके चले जाने वाले छात्रों को निष्क्रमण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, ऐसे छात्रों को पुनः आचार्य की प्रथम वर्ष करने या द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने पर चर्चा ।**

आचार्य प्रथम वर्ष के बाद शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य आदि पाठ्यक्रम करने हेतु चले जाने वाले छात्रों को निष्क्रमण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ऐसे छात्रों को पुनः आचार्य कक्षा के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्रों को निष्क्रमण प्रमाण पत्र जमा करने पर पुनः पंजीयन संख्या प्रदान की जायेगी और नियमानुसार नामांकन किया जायेगा।

10. छात्रों की विभिन्न समस्याओं पर विचार ।

1. विशिष्टाचार्य के छात्रों को छात्रवृत्ति का न मिलना ।

इस सम्बन्ध में वित्ताधिकारी महोदया द्वारा यह बताया गया कि इस मामले के सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है।

2. **छात्रों के लिये सामान्य कक्ष (कामन रूम) की व्यवस्था ।**

इस संबंध में विद्वत्परिषद द्वारा यह निर्णय किया गया कि व्यायामशाला के पास स्थित कक्ष को छात्रों के लिये 'छात्र मनोरंजन कक्ष एवं कैंटीन' के रूप में विकसित किया जायेगा और यह कार्य दो सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाएगा ।

Excn.

3. विद्यापीठ द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों की हरियाणा एवं अन्य राज्यों में मान्यता संबंधी मांग ।

विद्यापीठ की उपाधियों की मान्यता संबंधी छात्रों की प्रस्ताव के संबंध में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक समिति का गठन किया गया जो दिनांक 23 अप्रैल 2015 को हरियाणा राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करेगी :-

1. प्रो. इच्छाराम द्विवेदी
2. प्रो. कमला भारद्वाज
2. डॉ. हरेराम त्रिपाठी
3. डॉ. बिहारी लाल शर्मा
4. डॉ. यशवीर सिंह – संयोजक

इस निर्णय की पुष्टि की गयी और इसे तत्काल क्रियान्वित करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

Bl. M K Meena 4. क्रीड़ा और खेल-कूद का प्रबन्ध और आयोजन ।

विद्यापीठ में क्रीड़ा और खेलकूद का प्रबन्ध और समय-समय पर उसके आयोजन के लिये निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक समिति का गठन किया जाता है। यह समिति उपरोक्त कार्य के साथ-साथ इस सम्बन्ध में आवश्यक नीतियों के विषय में सुझाव देगी जिसे कुलपति के आदेश से लागू किया जायेगा। श्री मनोज मीणा द्वारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय में शिक्षण और संकाय प्रमुख द्वारा निर्धारित अन्य विभागीय कार्य सम्पादित किये जायेगें। श्री मनोज मीणा खेलकूद से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां एवं सामान नयी समिति को यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान करेगें।

1.	डॉ. यशवीर सिंह	अध्यक्ष एवं संयोजक
2.	डॉ. बिहारी लाल शर्मा	उपाध्यक्ष एवं सहसंयोजक
3.	डॉ. मीनाक्षी मिश्रा	सदस्य
4.	डॉ. जगदेव सिंह	सदस्य

श्री राजकुमार, सहायक, विकास अनुभाग क्रीड़ा और खेलकूद सम्बन्धी सामानों के लिये स्टोर कीपर का कार्य करेगें तथा समिति को सचिवीय सहायता प्रदान

करेंगें। विद्यापीठ में क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए पद सृजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित किया जाय। पद प्राप्त होने पर क्रीड़ा प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाय। इस निर्णय की पुष्टि की गयी और इसे तत्काल क्रियान्वित करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

11. **अन्य पाठ्यक्रमों के विभागों की तरह हिन्दी विभाग को आधुनिक विषय के रूप स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव ।**

उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रो. इच्छाराम द्विवेदी ने यह प्रस्ताव किया कि अन्य विभागों की तरह हिन्दी विभाग को आधुनिक विषय के रूप में स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया की जाय।

12. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम २०१० एवं (संशोधन विनियम) २०१४ के अनुसार तीन बाह्य सदस्यों को विद्वत्परिषद में नामित करने पर विचार।**

विद्वत्परिषद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विनियमों को क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार करते हुये संशोधित विनियम 2014 के प्रावधान के अनुरूप ऐसे तीन सदस्यों को सहयोजित करने पर विचार किया जो विद्यापीठ के शिक्षक न हों। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नामों का सुझाव दिया गया।

नाम	प्रस्तावक
1. डा. बिट्ठलदास मूंदड़ा	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय
2. डा. अतुलकृष्ण	प्रो. इच्छाराम द्विवेदी
3. श्री त्रिलोकनाथ तिवारी	प्रो. हरेराम त्रिपाठी
4. योगगुरु बाबा रामदेव	डा. बिहारीलाल शर्मा
5. श्री गिरीश साहनी, एफ-15 कीर्तिनगर, नई दिल्ली	डा. यशवीर सिंह

उपयुक्त विषय में यह निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय सम्बन्धित सम्मानित महानुभावों से सम्पर्क कर उनकी सहमति प्राप्त कर तीन सदस्यों को नामित करें। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

कुलसचिव

R.K.Pandey
कुलपति